न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 17/2024 बउनवानी कैलाश नारायण शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा नि0 खण्डार हाल निवासी गीता भवन के पास शहर स0मा0 **GCMS No-2024/52**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.5.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:- 1. इस्तगासा 107,116 3 सीआरपीसी मुकदमा नम्बर 97/20 सरकार बनाम सीताराम ब्राहमण वगै. मे मय स्टाम्प दस्तावेजो की नकल दिलावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/आरटीआई/2024/349 दिनांक 29.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/454 दिनांक 9.6.2023 से भिजवायी जा चुकी है। यह भी अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त सूचना पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 13.2.2023 मे भी चाही गयी थी एवं उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.2.2023 के विरूद्व प्रथम अपील भी न्यायालय हाजा मे पेश की गयी थी जो अपील संख्या 20/23 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 21.6.2023 को निर्णित हो चुकी है। यह तर्क भी दिया कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 333 दिनांक 24.5.2024 से द्वारा अपीलान्ट को पुनः सूचना भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता 'हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना, उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 454 दिनांक 9.6.2023 एवं 333 दिनांक 24.5.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल अपील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.24 13:11:20 IST Reason: SelfAttested (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner